न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. **34 / 2020**

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
घम्माराम पुत्र राउराम जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा (जाजवा) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		तहसीलदार गिड़ा जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.07.2020 जो प्रकरण सं. 09 / 2020 मे तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री छैलसिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : **26.07.2021**

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गिड़ा द्वारा प्रकरण सं. 09 / 2020 सरकार बनाम **घम्माराम** मे पारित निर्णय दिनांक **29.07.2020** के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का जाजवा द्वारा तहसीलदार गिड़ा के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जाजवा के खसरा नम्बर **805** रकबा **226–19** बीघा किस्म गैर मुमकीन ओरण भूमि में से **0–02** [illegible] पुत्र राउराम निवासी **सरदारपुरा (जाजवा) तह**[illegible] **ईंटों का कमरा मय टीन शेड** बनाकर कर अ[illegible] है, जिस[illegible]रूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का [illegible]टवारी द्वारा प्रस्तुत [illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:52:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तहसीलदार गिड़ा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार गिड़ा द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक **29.07.2020** के द्वारा **05/–** रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता को प्रस्तुत अपील पर बहस हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद आज अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अपीलाधीन भूखण्ड पर अपीलान्ट के पिता व उनका संयुक्त कब्जा कई वर्षों से चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड पर पूर्व में अपीलांट के पिता का कब्जा था जिसमे अपीलांट के नाम से विद्युत संबंध लिया हुआ है जिससे उक्त भूखण्ड पर पुराना कब्जा होना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के आधिपत्य की निर्मित ईंटों का कमरा मय टीन शेड आबादी भूमि से बाहर होकर गैर मुमकिन ओरण में होने के संबंध में कोई भू–माप सीमा ज्ञान की रिपोर्ट, मौका फर्द साक्ष्य में रेकर्ड पर नहीं ली गई है, न ही अपीलाधीन आदेश में यह फाइन्डिंग दी गई है कि अपीलांट द्वारा निर्मित उक्त ईंटों का कमरा मय टीन शेड आबादी से बाहर ओरण में स्थित है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि गांव जाजवा की अधिकांश आबादी उक्त ओरण भूमि में अवस्थित है तथा पटवार घर, सरकारी विद्यालय, अस्पताल तथा जलदाय विभाग के कार्यलय भी उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:52:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

ओरण भूमि में ही बने हुए हैं। ग्राम जाजवा के खसरा नं. 525 की आबादी अधिक हो जाने के कारण आबादी भूमि की आवश्यकता होने के पर ग्राम पंचायत जाजवा द्वारा सन् 2002 में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर को भिजवाया गया था। इसके क्रम में श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ12(3)(67) / राज. / 2003 / 3713 दिनांक 06.08.2003 के द्वारा श्रीमान शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित भी किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी को गैर मुमकिन ओरण भूमि पर नाजायज अतिक्रमी घोषित किया जाना न्यायोचित होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम जाजवा के खसरा नम्बर **525** रकबा **640–05** बीघा किस्म गैर मुमकीन ओरण भूमि में से **0–02** बीघा पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। उक्त अपीलाधीन भूखण्ड पर अपीलांट व उसके परिवार के सदस्य महज अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हैं। पुराना कब्जा होने मात्र से गैर मुमकिन ओरण भूमि पर काबिज रहने के अधिकार अपीलांट को नहीं है। उक्त अतिक्रमण के संबंध में उच्चाधिकारियों के निर्देशों पर हलका पटवारी जाजवा से करवाई जांच में गैर मुमकिन ओरण भूमि पर पाये गये अतिक्रमणों के संबंध में प्रकरण दर्ज कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट द्वारा कथित आबादी विस्तार के संबंध में कार्यालय में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। ग्राम जाजवा में घर खसरा नंबर 773 / 525 में, सरकारी विद्यालय खसरा नंबर 774 / 525 व 803 / 770 में तथा जलदाय विभाग 776 / 525 में आवंटित भूमि पर बने हुए हैं। इस पर अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:52:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर उस पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

6. हमनें अपीलांट की अपील एवं राजकीय अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम पंचायत के द्वारा गांव जाजवा की आबादी विस्तार के लिये गैर मुमकीन भूमि ओरण से गैर मुमकीन आबादी मे संपरिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव सरकारी स्तर पर प्रस्तावित/अनुमोदित होना प्रकट किया है, किन्तु इस संबंध में अपीलांट ने अपने कब्जे को विधिवत रूप से ग्राम पंचायत के अधीन आवंटन योग्य होने का कोई तथ्यपरक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। यदि पूर्व में विवादित ओरण भूमि में से आबादी भूमि आंवटित हुई है तो उसका राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं है। इसके बावजूद अपीलांट ने उक्त आबादी क्षेत्र से बाहर ओरण भूमि में कब्जा कर निर्माण किया है, जो इस आधार पर कतई विधिक नहीं ठहराया जा सकता कि कब्जा कई वर्षो से पुराना है। ऐसे में अपीलांट इस अपील के द्वारा मुतनाजा सरकारी भूमि पर अपने हक–स्वामित्व साबित करने में विफल रहा हैं तथा बिना किसी ठोस साक्ष्य के अपीलांट की यह अपील सारहीन व आधारहीन प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलाधीन कार्यवाही पूर्णतया विधिसम्मत प्रतीत होती है तथा इसमें किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:52:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

2020 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार गिड़ा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

8. निर्णय आज दिनांक **26.07.2021** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:52:37 IST
Reason: SelfAttested